ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा – 846004

अभिषद् की बैठक दिनांक 04.01.2022 का कार्यवृत्त

समयः– 02:00 बजे अपराह्न।

स्थानः– कुलपति के आवासीय कार्यालय का सभाकक्ष।

उपस्थितिः–

1.	प्रो0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 डॉली सिन्हा, प्रति–कुलपति	–	सदस्य
3.	डॉ0 बैद्यनाथ चौधरी	–	सदस्य
4.	प्रो0 अजय नाथ झा	–	सदस्य
5.	प्रो0 विजय कुमार यादव	–	सदस्य
6.	डॉ0 दिलीप कुमार चौधरी	–	सदस्य
7.	प्रो0 अशोक कुमार मेहता	–	सदस्य
8.	प्रो0 प्रेम मोहन मिश्र	–	सदस्य
9.	डॉ0 जय शंकर प्रसाद, प्रधानाचार्य	–	सदस्य
10.	डॉ0 आनंद मोहन झा, प्रधानाचार्य	–	सदस्य
11.	श्री सुजीत पासवान	–	सदस्य
12.	डॉ0 धनेश्वर प्रसाद सिंह	–	सदस्य
13.	डॉ0 राजेन्द्र साह, विभागाध्यक्ष	–	सदस्य
14.	डॉ0 एच0सी0 झा, विभागाध्यक्ष	–	सदस्य
15.	श्री इम्बेशात शौकत	–	सदस्य
16.	डॉ0 अमर कुमार	–	सदस्य
17.	श्रीमती मीना कुमारी	–	सदस्य
18.	डॉ0 फैयाज अहमद	–	सदस्य
19.	श्री लक्ष्मेश्वर राय	–	सदस्य
20.	डॉ0 गोपालजी ठाकुर	–	सदस्य
21.	श्री कैलाश राम, वित्तीय परामर्शी	–	विशेष आमंत्रित सदस्य
22.	प्रो0 मुश्ताक अहमद, कुलसचिव	–	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव प्रो0 मुश्ताक अहमद ने अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की गणपूर्त्ति पूरी होने की सूचना देते हुए सभी आगत अभिषद् सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें नव–वर्ष की शुभ–कामना दी। कुलपति– प्रो0 सिंह ने भी नव–वर्ष की शुभ–कामना सदस्यों को दी। सदस्यों ने भी अध्यक्ष को नव–वर्ष की शुभकामना दी। अध्यक्ष की अनुमति से कुलसचिव–सह–सचिव द्वारा बैठक प्रारंभ होने की सूचना देते हुए आज की बैठक में आगामी सिनेट में प्रस्तुत किये जानेवाले बजट, प्रश्नोत्तर एवं सम्पूर्ण कार्यसूची के प्रस्तावकों के नाम हेतु आज की बैठक की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। इसके बाद बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

मद सं0 1. अभिषद् की गत बैठक दिनांक 19.12.2021 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार।

निर्णयः इस मद पर विचार के क्रम में प्रो0 प्रेम मोहन मिश्र, श्री सुजित पासवान एवं श्रीमती मीना झा ने कहा कि गत बैठक के कुछ निर्णयों पर उनकी असहमति थी जबकि कार्यवृत्त में शब्द 'सर्वसम्मति से' अंकित है। इसलिये जिन मदों पर प्रो0 मिश्र की असहमति थी,

उनमें "सर्वसम्मति" के स्थान पर शब्द "बहुमत" अंकित किया जाय। इस क्रम में उन्होंने मद संख्या 1,2,4,13,14,15,19,21,22 एवं 31 का जिक्र किया जिनमें उनकी असहमति थी।

उक्त संशोधन के साथ गत बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदित/संपुष्ट किया गया।

मद सं0 2. सम्पूर्ण कार्य सूची पर प्राप्त संशोधनों एवं प्रश्नोत्तर पर विचार।

निर्णयः निर्णय लिया गया कि;

(1) चूँकि सम्पूर्ण कार्यसूची में शामिल मदों पर किसी भी माननीय अधिषद् सदस्य से कोई संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ, इसलिये दिनांक 13.01.2022 को आहूत अधिषद् की बैठक के लिये निर्गत "सम्पूर्ण कार्य–सूची" को अनुमोदित किया जाता है।

(2) यह भी निर्णय हुआ की सम्पूर्ण कार्यसूची में शामिल मदों के प्रस्तावकों के नाम देने हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

(3) यह भी निर्णय लिया गया कि अभिषद् सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर पर विचार करने हेतु अभिषद् सदस्यों की समिति गठित करने हेतु सर्वसम्मति से कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

मद सं0 3. भवन समिति की बैठक दिनांक 16.12.2021 के कार्यवृत्त पर विचार।

निर्णयः इस मद पर विचार के क्रम में कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय के पास स्नातकोत्तर शिक्षण हेतु वर्ग–कक्षों की कमी से उत्पन्न समस्याओं पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया गया। भवन–निर्माण समिति के उपर्युक्त प्रस्तावों को इस प्रसंग में विचारणीय करार देते हुए प्रस्तावित आवश्यक निर्माणों को कुलसचिव द्वारा रेखांकित किया गया।

इसी क्रम में प्रो0 राजेन्द्र साह, स्नातकोत्तर हिन्दी विभागाध्यक्ष द्वारा वर्त्तमान में वर्ग–कक्षाओं की अत्यल्पता, छात्रों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि, छात्राओं के लिये अलग शौचालय एवं मनोरंजन–कक्ष की आवश्यकता को दर्शाया गया। कुलपति–सह–अध्यक्ष द्वारा भी सदन को सूचित किया गया कि राज दरभंगा से प्राप्त स्नातकोत्तर मुख्य भवन में आवंटित स्नातकोत्तर विभागों के लिये कक्षाओं की बहुत ही कमी है। दिनानुदिन छात्रों की संख्याओं में वृद्धि हो रही है। कुछ भवन यदि बने भी हैं तो आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करते। इसलिये सम्पूर्ण परिसर में भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को भवन–निर्माण समिति की अनुशंसाओं के साथ इस बैठक में लाया गया है। सदस्यों द्वारा यह सूचित करने पर कि चूँकि कागजात बहुत अधिक हैं और उन्हें आज ही प्राप्त हुए हैं, इसलिये इन पर अगली बैठक में विचार किया जाय।

अध्यक्ष द्वारा नियमन दिया गया कि इस मद को अगली बैठक तक के लिये स्थगित किया जाता है।

अन्यान्य मद सं0 1.: डॉ0 बैद्यनाथ चौधरी ने प्रस्ताव रखा कि विश्वविद्यालय स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष एवं स्व0 ललित बाबू के 100वीं जयन्तीवर्ष के अवसर पर संसद एवं विधानमंडल के सदन में उपस्थित वर्त्तमान एवं पूर्व सदस्यों से अनुरोध है कि इस अवसर पर केन्द्र/राज्य सरकार से विश्वविद्यालय को विशेष अनुदान दिलाने में सहयोग करें। इसे ध्वनिमत से पारित किया गया।

अन्यान्य मद सं0 2.: प्रो0 अजय नाथ झा ने प्रस्ताव रखा कि प्रस्तावित बजट 2022–23 में आगामी "नैक" मूल्यांकन मद का शीर्ष दर्शाते हुए "होनेवाले व्यय" का प्रावधान किया जाय। इसे ध्वनिमत से पारित किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि इसे मॉनिटर करने हेतु प्रति–कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

अन्यान्य मद सं0 3.: अध्यक्ष, छात्र–कल्याण द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि हराही पश्चिमी भाग में अवस्थित परिसर में केन्द्रीय संगीत एवं नाट्य प्रभाग, भारत सरकार को आवंटित कमड़े एवं परिसर, जो वर्षों से बन्द पड़े हैं, उन्हें खाली करने का प्रस्ताव गत बैठक में दिया गया था किन्तु भूलवश कार्यवृत्त में अंकित नहीं हो सका।

माननीय अध्यक्ष ने नियमन देते हुए कहा कि भू–सम्पदा पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संबंधित सरकारी विभाग को वर्षों से भवन बन्द रहने के कारण हो रही जर्जरता का उल्लेख करते हुए खाली कर देने हेतु अनुरोध–पत्र भेजा जाय। पत्राचार के बाद प्रस्ताव अभिषद् में रखा जाय। सदन ने ध्वनिमत से इसे स्वीकार किया।

अन्यान्य मद सं0 4.: श्रीमती मीना झा ने डॉ0 कन्हैया चौधरी के वेतन का भुगतान पूर्व की भाँति करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष ने संचिका देखकर कार्रवाई करने की बात कही।

अन्यान्य मद सं0 5.: डॉ0 अमर कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम से चलता है। कुलसचिव अथवा किसी कर्मी के नियोक्ता या तो महामहिम कुलाधिपति होते हैं अथवा कुलपति। इसलिये कुलसचिव अथवा किसी कर्मी के वेतन का भुगतान उन्हीं के आदेश से रोकी जा सकती है न कि राज्य सरकार द्वारा।

इसी क्रम में डॉ0 बैद्यनाथ चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में हस्तक्षेप उचित नहीं है। राज्य सरकार को मात्र वित्तीय मामले में अधिनियम के अनुसार अधिकार प्राप्त है।

अन्यान्य मद सं0 6.: अस्वस्थता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके सदस्य प्रो0 विनोद कुमार चौधरी के लिखित निम्नांकित प्रस्ताव अन्य सदस्य डॉ0 बैद्यनाथ चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गयाः–

(1) PAT के विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण सभी शोधछात्रों को एक विशेष मौका पंजीयन शुल्क जमा करने, शोध प्रबन्ध जमा करने का दिया जाय। इसके लिए विशेष शुल्क का प्रावधान किया जाय।

(2) 35–40 वर्षों की सेवा में एक भी प्रोन्नति नहीं दिये जाने वाले कर्मचारियों को प्रोन्नति तुरंत दिया जाय।

(3) सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षक हेतु पुनः एक बार सेलेक्शन कमिटि का प्रावधान किया जाय तथा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाय।

(4) दैनिक पारीश्रमिकी पर कार्यरत कर्मचारियों के बकाये का भुगतान किया जाय।

अध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया किः–

(1) प्रस्ताव संख्या 1 पर विनियम के आलोक में नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा लगाये गये रोक के कारण प्रोन्नति की प्रक्रिया रूकी हुई है। प्रतिबन्ध हटते ही प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

(3) नियमानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधान के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।

(4) नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

अन्यान्य मद सं0 7.: डॉ0 गोपालजी ठाकुर, माननीय सांसद एवं अभिषद् सदस्य द्वारा निम्नांकित लिखित प्रस्ताव समर्पित किये गयेः–

(1) बिहार में कुल 38 सरकारी प्रौद्यौगिकी (इंजिनियरिंग) संस्थान है जिनमें वार्षिक शिक्षण शुल्क 2500 रूपये मात्र है, किन्तु स्व–वित्तपोषित संस्थान होने के कारण महिला प्रौद्यौगिकी संस्थान में वार्षिक शिक्षण शुल्क 81000 रूपये है। जिस कारण से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावक अपनी बिटिया का नामांकन इस संस्थान में नहीं करबा पाते हैं, अतः शिक्षण शुल्क कम करने की दिशा में आवश्यक पहल की जाय।

(2) वर्ष 2007 के बाद पिछले 13 वर्षों से डब्लू0आई0टी0 संस्थान में किसी निदेशक की नियुक्ति विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं की गई है। अतः विद्यार्थी एवं संस्थान हित में स्थायी रूप से निदेशक की नियुक्ति यथाशीघ्र की जाय।

(3) विश्वविद्यालय का सत्र जो कोरोना कालखंड में अनियमित हो गया है,पुनः छात्र हित को ध्यान में रखते हुए सत्र को नियमित किया जाय ताकि यहाँ के बच्चे यदि किसी अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु जाते हैं तो सत्र अनियमित के कारण उन्हें नामांकन में मुश्किल का सामना न करना पड़े।

(4) बेनीपुर डिग्री कॉलेज में पठन–पाठन सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों एवं कर्मचारियों का पदस्थापन यथाशीघ्र किया जाय।

(5) दरभंगा का एक मात्र लॉ कॉलेज जिसकी सम्बद्धता समाप्त किए जाने के कारण विगत वर्ष से नया नामांकन नहीं हो रहा है। सम्बद्धता बहाल करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जाय ताकि लॉ कॉलेज का अस्तित्व बनी रहे।

(6) जनता कोशी महाविद्यालय, बिरौल, बेनीपुर डिग्री कॉलेज, एम0आर0एम0 कॉलेज, दरभंगा में चार वर्षीय बी0एड0 (इंट्रीगेटेड कोर्स) पढ़ाई की व्यवस्था अगले सत्र से प्रारंभ करने की दिशा में आवश्यक पहल की जाय।

(7) ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के शिक्षा संकाय में एम0एड0 की पढ़ाई सुनिश्चित हो इस हेतु एन0सी0टी0ई0 से अप्रूवल हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(8) स्नातक परीक्षा उत्तर–पुस्तिका मूल्यांकन में स्थायी रूप से संबद्ध जनता डिग्री कॉलेज, कोर्थू के शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य में सम्मिलित किया जाय।

(9) सभी महाविद्यालय में पुस्तकालय–अध्यक्ष की नियुक्ति की जाय।

(10) ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना "खेलो इंडिया" के तहत इंडोर स्टेडियम निर्माण हेतु स्थल चिन्हित करके इंडोर स्टेडियम निर्माण की दिशा में आवश्यक पहल की जाय।

उपर्युक्त प्रस्तावों पर माननीय कुलपति द्वारा प्रत्येक बिन्दु पर वास्तविक स्थिति का रेखांकन किया गया।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नियमानुसार सभी संभव प्रस्तावों पर कार्रवाई हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। माननीय सांसद ने विभिन्न मंत्रालयों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने में अपने सहयोग का आश्वासन कुलपति एवं सदन को दिया।

अन्यान्य मद सं0 8.: श्रीमती मीना झा ने राज मैदान स्थित ललित संकाय भवन (नाटक धर) की जर्जरता का जिक्र करते हुए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया।

कुलपति द्वारा सूचित किया गया कि उक्त भवन संबंधी कार्य "भवन–निर्माण समिति" के प्रस्ताव में शामिल है। सड़क–निर्माण का प्रस्ताव है। माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में उक्त भवन का स्वामित्व राज–परिवार के महारानीजी के पास है जबकि भवन विश्वविद्यालय के कब्जे में है। भवन के रंगाई–पोताई विश्वविद्यालय द्वारा कराई जा सकती है। पुनः भवन का स्वामित्व विश्वविद्यालय को दिलवाने हेतु राज परिवार से सम्पर्क कर सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

सदन ने इस हेतु माननीय कुलपति को अधिकृत किया।

अन्यान्य मद सं0 9.: श्री लक्ष्मेश्वर राय ने प्रस्ताव रखा कि विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य ही नहीं बल्कि उपलब्ध संसाधनों, आवश्यकताओं, गुणवत्ता, व्यवस्था एवं आर्थिक परिस्थिति पर सम्पूर्ण रूप से सदन में चर्चा की जाय साथ ही पूर्व में विभिन्न सड़क, तालाब एवं पार्क का मिथिला के विभूतियों के नाम पर नामकरण की बात कही।

अध्यक्ष द्वारा इस पर सहमति दी गई।

अंत में कुलसचिव, प्रो0 मुश्ताक अहमद ने नववर्ष में अभिषद् की पहली बैठक में माननीय सदस्यों की सहभागिता एवं सहयोग के लिये आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया और अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

ह0/–
(प्रो0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह)
कुलपति–सह–अध्यक्ष

ह0/–
(प्रो0 मुश्ताक अहमद)
कुलसचिव–सह–सचिव

ज्ञापांकः– LNB- 641/22. दिनांकः– 04-01-2022.

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. अभिषद् के सभी माननीय सदस्य, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
2. सचिव, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना;
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना;
4. उप–सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना;
5. सभी पदाधिकारी, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
6. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
7. कुलपति के सचिव/प्रति–कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

04.1.22
कुलसचिव